प्रकरण संख्या 47/2021
अनवान किशनराम बनाम सुमन देवी वगैरा

23.4.2026

वकील उभय पक्ष उप.। बहस प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पर सुनी गई पत्रावली का अवलोकन व बहस पर मनन किया अधिवक्ता प्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी के कथनो को दौराते हुए प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 64 ने प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी के तथ्यो को दौराते हुए चक 10 बीजीपी खाता सख्या 10/45 की कृषि भूमि की सीमा तक अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज करने का निवेदन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन अपूर्णीयक्षति पर विचरण किया गया। उभय पक्ष की बहस व पत्रावाली के अवलोकन से उक्त बिन्दु उभय के पक्ष में तय किये जाते है। चूंकि भूमि प्रार्थी/अप्रार्थी 64 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मूल प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 18 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया है। अतः प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर दिनांक 12.07.2021 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा संशोधित कर ताफैसला कन्फर्म किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 18 हिस्सा विशेष भूमि का बैचान न करे न ही सुधार के अतिरिक्त कोई निर्माण करें। यदि प्रार्थी/अप्रार्थी विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करवाते है अपने हक हिस्सा की भूमि पर बैक ऋण लेते है तो उस पर उक्त निषेधाज्ञा लागु नही होगी। प्रार्थना पत्र 212 मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया